

11/3/2023

103186/2023

CE(P)/D.Duh

MD
02/03/23

ई पत्रावली संख्या-48114

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

11/3/23
मुख्य अभियन्ता
लो० निर्माण वि०

662 SSO-III (P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 28 फरवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में पूर्व निर्मित विभिन्न क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतुओं का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)(RFQ एवं TOR के अनुसार)की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसमें कुल 24 सेतु एवं लागत ₹ 156.80 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त, संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹156.80 लाख (रूपये एक करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 24 कार्यों हेतु ₹2.40 लाख (रूपये दो लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या- 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या- 383/III(1)/19-190(PWD)01 टी.सी. II दिनांक 05.02.2020 एवं शासनादेश संख्या- 1403/III(2)/21-8(सामान्य)2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड प्रेक्च्योरमेन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा

अनुमोदित
04/03/23

- निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ix. उत्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।
 - x. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
 - xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
 - xii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
 - xiii. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं. - 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या- 22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.- 22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य- 53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 की कम्प्यूटरजनित संख्या-I/102874/2023 दिनांक 27 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar
(विनीत कुमार)
Date: 28-02-2023 15:55:19
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता/सहिया।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

ई-फाइल संख्या- 48114 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत मीनस अटाल मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-65) के किमी0 20.00(अटाल गांव) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)(RFQ एवं TOR के अनुसार) ।	90	18.00	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत हरिपुर-ईच्छाडी-कानू-मीनस मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के किमी0 72.00(मीनस गांव) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)(RFQ एवं TOR के अनुसार) ।	88	17.60	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल राज्य मार्ग संख्या-18 के किमी0 65 चैनेज 64.800 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)(RFQ एवं TOR के अनुसार) ।	90	18.00	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के हरिपुर-ईच्छाडी-कानू-मीनस मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के किमी0 36 (टिमरा गांव) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार) ।	18	5.40	0.10
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत हरिपुर-ईच्छाडी-कानू-मीनस मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के किमी0 64 (सैज गांव) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य(प्रथम चरण)(RFQ एवं TOR के अनुसार) ।	18	5.40	0.10
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत हरिपुर-ईच्छाडी-कानू-मीनस मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के किमी0 27.00 चैनेज 26.250 पर स्थित क्लास 'बी' लोडिंग आर0सी0सी0 पुल को 1.5 लेन) क्लास 'ए' /70 आर0 लोडिंग (आर0सी0सी0 पुल में उद्घीकरण किये जाने का कार्य(प्रथम चरण)(RFQ एवं TOR के अनुसार) ।	12	3.60	0.10
7.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत हरिपुर-ईच्छाडी-कानू-मीनस मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के किमी0 10.00 चैनेज 9.950 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	15	4.50	0.10
8.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत हरिपुर-ईच्छाडी-कानू-मीनस मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के किमी0 7.00 चैनेज 6.050 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	12	3.60	0.10

	लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)			
18.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल राज्य मार्ग संख्या-18 के किमी0 65.00 चैनेज 64.025 पर (राष्ट्र गुठाड) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	16	4.80	0.10
19.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल राज्य मार्ग संख्या-18 के किमी0 20.00 चैनेज 19.450 पर खूनीगाड में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	30	9.00	0.10
20.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत चकराता-त्यूनी (राज्य मार्ग संख्या-17) के किमी0 10.00 चैनेज 9.150 पर दारमीगाड में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	15	4.50	0.10
21.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत चकराता-त्यूनी (राज्य मार्ग संख्या-17) के किमी0 17.00 चैनेज 16.375 पर चातरा में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	18	5.40	0.10
22.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल राज्य मार्ग संख्या-18 के किमी0 24.00 चैनेज 23.050 पर (समोग पुल) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	12	3.60	0.10
23.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल राज्य मार्ग संख्या-18 के किमी0 11.00 चैनेज 10.450 पर (दावा पुल) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	20	6.00	0.10
24.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल राज्य मार्ग संख्या-18 के किमी0 33.00 चैनेज 32.875 पर (क्वांसी पुल) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	20	6.00	0.10
	कुल योग :-	24 Brdgs	156.80	2.40

(कुल ₹ दो लाख चालीस हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।Signed by Shyam Singh
Date: 28-02-2023 16:38:32



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/103186/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23020220047
 आवंटन पत्र दिनांक-28-FEB-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					3100000	240000	0	3340000				
योग					3100000	240000	0	3340000				

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,40,000 (Rupees Two Lacs
 Forty Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 259 / 20 याता0'क'नियोजन-1/2023

दिनांक- 157 03/2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, 09 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया/चकराता।
- 4-अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5- अपर सहायक अभियन्ता प्रावधिक/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।